र.....किस्म.....उनवान.....

यालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

नांक	फर्द अहकाम	
22/4/24	पत्रावली पेश हुई। शायल व शायलान वकील उपस्थित। शायल व शायलान वकील ने अवगत कराया कि शायलान व शायलान वकील प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहते हैं। शायलान व शायलान वकील ने प्रकरण नोटिस के माध्यम से समाप्त कराना चाहते हैं अतः मु.नं. 31/22 T.I. स्थाली बनाम [illegible] को प्रकरण से समाप्त किया जाता है। पत्रावली फाइल शुमार होकर नम्बर से कमी हो।	में मुकदमा TI को चलाना नहीं चाहती हूं Note preco [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 12:15:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner